

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-48/2017-18

छोटानागापुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

अमर सिंह मुण्डा बनाम सोनी देवी

09.02.21

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

अमर सिंह मुण्डा पिता-स्व० गहन सिंह मुण्डा,  
ग्राम-नुरीडीह, पो०-आमलेशा, थाना-तमाड़,  
जिला-राँची, जाति-मुण्डा, पेशा-खेती वारी।

क्रेता का नाम एवं पता -

सोनी देवी पति-विवेक उराँव, ग्राम-डोड़ेया,  
पो०-तमाड़, थाना-तमाड़, जिला-राँची,  
जाति-उराँव, पेशा-गृहिणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-19/15/2017 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता सोनी देवी पति-विवेक उराँव, ग्राम-डोड़ेया, पो०-तमाड़, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-उराँव, पेशा-गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
आगरा	तमाड़/229	96	888	0.64 ए० चौहद्दी:- उ०-विभीषण भूईया। द०-प्लाट नं० 885। पू०-बबलू मुण्डा। प०-विवेक उराँव।

उक्त आवेदन के आलोक में अचल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, तमाड़ का पत्रांक-29(ii) दिनांक-16/01/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत ठाकुर पातर वल्द गहन पातर के नाम से दर्ज है।
- (2) विक्रेता पंजी-II रैयत के पुत्र लगते हैं।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम गहन पातर मुंडा पिता-ठाकुर पातर मुंडा है। तथा रैयत के पास प्रस्तावित खाता में रकबा-2.65 एकड़ भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2011-12 तक वसूली गयी है।
- (5) विक्रेता के जमाबंदी रैयत के पुत्र लगते हैं। तथा उत्तराधिकारी के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन दोन दो किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के हिस्से में रकबा-4.15 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को बिमार पत्नी के ईलाज हेतु बिक्री कर रहे हैं।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत मुंडा एवं उराँव जाति के हैं।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना के अन्तर्गत निवास करते हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, तमाड़ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत विक्रेता अमर सिंह मुण्डा पिता-स्व० गहन सिंह मुण्डा, ग्राम-नुरीडीह, पो०-आमलेशा, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-मुण्डा, पेशा-खेती वारी, को क्रेता सोनी देवी पति-श्री विवेक उराँव, ग्राम-डोड़ेया, पो०-तमाड़, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-उराँव, पेशा-गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-19/05/2017 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता अमर सिंह मुण्डा पिता-स्व० गहन सिंह मुण्डा, ग्राम-नुरीडीह, पो०-आमलेशा, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-मुण्डा, पेशा-खेती वारी, को क्रेता सोनी देवी पति-श्री विवेक उराँव, ग्राम-डोड़ेया, पो०-तमाड़, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-उराँव, पेशा-गृहिणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)a के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।



भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
आगरा	तमाड़/229	96	888	0.64 ए० चौहद्दी:- उ०-विभीषण भूईया। द०-प्लाट नं० 885। पू०-बबलू मुण्डा। प०-विवेक उराँव।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता।  
४.०१०७

बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहर्ता।  
४.०१०७

बुण्डू।